

अध्याय 13

मानव विकास

आर्थिक नीति में बहुधा आर्थिक विकास और मानव कल्याण के दो लक्ष्यों के बीच महत्वपूर्ण संतुलन बनाना होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हों। वैश्विक झटकों के बावजूद भारत ने विशेषकर, ज़रूरतमंदों और उपेक्षितों के लिए कल्याणकारी व्यय में कोई समझौता नहीं किया जबकि विकास पिछड़ गया। सामाजिक और वित्तीय समावेशन हेतु, लक्षित नीतियों के साथ-साथ विकास की एक नई प्रेरणा परिव्यय को परिणाम में बदलने में सहायक हो सकती है।

13.2 बड़ी और युवा आबादी के चलते भारत मानव आबादी का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। 125 बिलियन की सबल भारतीय आबादी की औसत आयु 2020 में 29 वर्ष होगी जो चीन और अमेरिका के लोगों की औसत आयु 37 वर्ष की तुलना में अधिक युवा आबादी होगी। देश की आबादी में कार्य करने में सक्षम आयु वाले व्यक्तियों का अनुपात 2001 के लगभग 58 प्रतिशत से बढ़कर 2021 तक 64 प्रतिशत से भी अधिक हो जाने की आशा है तथा इसमें 2011 और 2016 के बीच लगभग 63.5 मिलियन नए व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें 20-35 वर्ष आयु समूह के युवाओं की संख्या काफी अधिक होगी। यह भारत के लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। ऐसे अवसर का लाभ उठाना मानव विकास के मौर्चे पर होने वाली प्रगति पर आश्रित है।

मानव विकास: अन्तरराष्ट्रीय तुलना

13.3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में, मानव विकास सूचकांक का अनुमान तीन मूल मानदंडों के संदर्भ में लगाया जाता है: लम्बी आयु तक स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और जानकार बनना और मर्यादित आर्थिक जीवन स्तर/एचडीआर 2013 के अनुसार, भारत का, 2012 में 0.554 मानव विकास सूचकांक था, अपने समग्र वैश्विक रैंकिंग 136 (186 देशों में से) के साथ कुछ बिंदु नीचे गिर गया, जबकि एचडीआर 2012 के अनुसार इसका स्थान 134 (187 देशों में) था (सारणी 13.1)।

13.4 भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि यह अभी तक चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, यहां तक की इसी श्रेणी में वियतनाम का समग्र मानव विकास सूचकांक इससे बेहतर है और श्रीलंका, 2012 एचडीआई रैंकिंग में मध्यम से उच्च मानव विकास श्रेणी की ओर बढ़ रहा है जबकि यहां वर्षों तक आंतरिक संघर्ष रहा। विकसित देशों और अनेक विकासशील देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांकों के बीच का मौजूदा अन्तर अधिक तेजी और व्यापक रूप से बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता को उजागर करता है। भारत में जन्म के समय संभावित आयु 2012 में 65.8 वर्ष थी, जबकि नार्वे में 81.3 वर्ष, संयुक्त राज्य में 78.7 वर्ष, ब्राजील में

मानव आबादी से भारत को लाभ होगा यदि इसकी जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और पर्याप्त कुशल हो।

सारणी 13.1 वैश्विक एचडीआई 2012 में भारत का स्थान और प्रवृत्ति

देश	एचडीआई		जीएनआई प्रतिव्यक्ति 2012\$	जन्म के समय आयु संभाविता (वर्ष) 2012	स्कूल जाने का औसत वर्ष (वर्ष) 2010 ^a	स्कूल जाने का संभावित वर्ष (वर्ष) 2011 ^b	औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2011	2012					मूल्य	मूल्य	रैंक	
							1980- 1990	1990- 2000	2000- 2012	
नार्वे	0.953	0.955	1	48688	81.3	12.6	17.5	0.59	0.79	0.29
यूनाइटेड स्टेट्स	0.936	0.937	3	43480	78.7	13.3	16.8	0.40	0.33	0.27
जर्मनी	0.919	0.920	5	35431	80.6	12.2	16.4	0.85	0.81	0.47
यूनाइटेड किंगडम	0.875	0.875	26	32538	80.3	9.4	16.4	0.47	0.70	0.33
रशियन फेडरेशन	0.784	0.788	55	14461	69.1	11.7	14.3	-0.23	0.84
मलेशिया	0.766	0.769	64	13676	74.5	9.5	12.6	1.21	1.15	0.64
ब्राजील	0.728	0.730	85	10152	73.8	7.2	14.2	1.23	1.26	0.73
श्रीलंका	0.711	0.715	92	5170	75.1	9.3	12.7	0.88	0.72	0.76
चीन	0.695	0.699	101	7945	73.7	7.5	11.7	1.96	1.78	1.42
मिस्र	0.661	0.662	112	5401	73.5	6.4	12.1	2.12	1.68	0.92
इण्डोनेशिया	0.624	0.629	121	4154	69.8	5.8	12.9	1.26	1.21	1.28
दक्षिण अफ्रीका	0.625	0.629	121	9594	53.4	8.5	13.1	0.87	0.01	0.11
वियतनाम	0.614	0.617	127	2970	75.4	5.5	11.9	1.98	1.22
भारत	0.551	0.554	136	3285	65.8	4.4	10.7	1.75	1.23	1.50
बांगलादेश	0.511	0.515	146	1785	69.2	4.8	8.1	1.49	1.83	1.46
पाकिस्तान	0.513	0.515	146	2566	65.7	4.9	7.3	1.29	0.89	1.74
विश्व	0.692	0.694		10184	70.1	7.5	11.6	0.68	0.64	0.68

स्रोत: एचडीआर 2013।

टिप्पणी : क और ख - आंकड़े क्रमशः 2010 और 2011 के या हालिया वर्ष के उपलब्ध आंकड़े हैं; \$ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2005 की डॉलर क्रय शक्ति तुल्यता पर आधारित है।

73.8 वर्ष, श्रीलंका में 75.1 वर्ष, चीन में 73.7 वर्ष और वैश्विक औसत 70.1 वर्ष थी। तथापि, भारतीय संभावित आयु के आंकड़े दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े से काफी अधिक है (53.4 वर्ष) जिसका एचडीआई रैंक अधिक ऊपर है और इसी श्रेणी में प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। स्कूली वर्ष के औसत (4.4 वर्ष) में भारत का प्रदर्शन चीन, ब्राजील, श्रीलंका और मिस्र जैसे देशों से न केवल बहुत नीचे है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है अपितु बांगलादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है, जिनका प्रति व्यक्ति आय कम है। यह वैश्विक औसत 7.5 वर्ष से भी बहुत कम है। यद्यपि, एचडीआई रैंकिंग में नीचे होते हुए भी 2000-12 के लिए औसत वार्षिक एचडीआई विकास के अर्थ में भारत बहुत से देशों से काफी आगे है, जिनका मानव विकास अधि क और बहुत अधिक है। 1.50 प्रतिशत औसत वार्षिक एचडीआई विकास के साथ यह चीन (1.42), ब्राजील (0.73) मिस्र (0.92) और बांगलादेश (1.46) से आगे है, जबकि पाकिस्तान (1.74) से पीछे है। जबकि 1980 और 1990 के दशकों में एचडीआई विकास के अर्थ में चीन और मिस्र ने अच्छा प्रदर्शन किया, 2000 के दशक में इसमें गिरावट आई। दूसरी ओर भारत, जो ऐसा लगता है कि 1990 के दशक में लड़खड़ाया था, 2000-12 के दौरान इसने दोबारा तेजी दिखायी (सारणी 13.1)।

भारत के सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्ति

13.5 यद्यपि अधिकांश सामाजिक क्षेत्र के विषय राज्यों के दायरे में आते हैं, विगत वर्षों से सामाजिक कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखी गई है। हालांकि

सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से उत्पन्न देश की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों और यूरो क्षेत्र संकट 2011-12 के परिणामस्वरूप हालिया वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च में कमी आयी। तथापि, इसमें 2013-14 में दोबारा बढ़ोतरी हुई है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार का सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2010-11 में 12.61 प्रतिशत से घटकर 2011-12 और 2012-13 (संशोधित अनुमान) में क्रमशः 11.43 प्रतिशत और 11.93 प्रतिशत रह गया। यह 2013-14 (बजट अनुमान) में बढ़कर 12.83 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण विकास (आयोजना और आयोजना-भिन्न) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सहित सामाजिक सेवाओं पर केन्द्र सरकार का कुल व्यय 2010-11 में 18.00 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 15.79 प्रतिशत और 2012-13 (संशोधित अनुमान) में 15.12 प्रतिशत रह गया। 2013-14 (बजट अनुमान) में यह बढ़कर 16.70 प्रतिशत हो गया (सारणी: 13.2)।

सारणी 13.2 : सामाजिक सेवाओं और विकास पर केन्द्र सरकार का व्यय (आयोजना और आयोजना-भिन्न)(कुल व्यय का प्रतिशत)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 सं.अ.	2013-14 ब.अ.
1. सामाजिक सेवाएं						
क. शिक्षा खेलकूद युवा मामले	4.27	4.15	4.56	4.73	4.38	4.38
ख. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2.09	2.00	1.98	2.02	1.81	1.99
ग. जलाधार्ति, आवास आदि	2.54	2.39	2.35	2.11	1.88	2.20
घ. सूचना एवं प्रसारण	0.23	0.20	0.21	0.19	0.18	0.17
ड. अनु. जा. अनु. जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.41	0.43	0.58	0.64	0.54	0.62
च. श्रम और रोजगार	0.28	0.22	0.24	0.26	0.26	0.29
छ. समाज कल्याण और पोषण	1.15	0.87	1.01	1.28	1.13	1.21
ज. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	0.02	0.02	0.01	1.56	1.80
झ. अन्य सामाजिक सेवाएं	1.55	1.67	1.66	0.20	0.19	0.16
कुल	12.52	11.94	12.61	11.43	11.93	12.83
2. ग्रामीण विकास	4.56	3.77	3.51	2.88	2.49	2.57
3. प्र.मं.ग्रा.स. योजना	0.88	1.11	1.87	1.48	0.70	1.30
4. सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और प्र.मं.ग्रा.स. योजना	17.95	16.82	18.00	15.79	15.12	16.70

स्रोत: बजट दस्तावेजों पर आधारित।

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

सारणी 13.3 : सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 सं.अ.	2013-14 ब.अ.
कुल व्यय	1599677	1852119	2145145	2421768	2839927	3219783
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	380628	446382	529398	580868	710410	812139
जिसमें से: (i) शिक्षा	162008	197070	244156	277053	334480	375427
(ii) स्वास्थ्य	74273	88054	100576	110228	132134	155633
(iii) अन्य	144347	161258	184666	193587	243796	281079
स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में	28.4	28.6	27.5	26.9	28.1	28.4
कुल व्यय सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.8	6.9	6.8	6.4	7.0	7.2
जिसमें से: (i) शिक्षा	2.9	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3
(ii) स्वास्थ्य	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4
(iii) अन्य	2.6	2.5	2.4	2.1	2.4	2.5
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	23.8	24.1	24.7	24.0	25.0	25.2
सामाजिक सेवाओं पर व्यय जिसमें से: (i) शिक्षा	10.1	10.6	11.4	11.4	11.8	11.7
(ii) स्वास्थ्य	4.6	4.8	4.7	4.6	4.7	4.8
(iii) अन्य	9.0	8.7	8.6	8.0	8.6	8.7
सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में	42.6	44.1	46.1	47.7	47.1	46.2
(i) शिक्षा	19.5	19.7	19.0	19.0	18.6	19.2
(ii) स्वास्थ्य	37.9	36.1	34.9	33.3	34.3	34.6
(iii) अन्य						

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक जैसाकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त किया गया।

टिप्पणी: सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

13.6 दूसरी ओर, कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय पिछले वर्षों में (2011-12 को छोड़कर) लगभग लगातार बढ़ा और 2008-09 में 23.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 (बजट अनुमान) में 25.2 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2008-09 में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 (बजट अनुमान) में 7.2 प्रतिशत पर आ गया क्योंकि शिक्षा पर व्यय 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 1.4 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 13.3)।

गरीबी

13.7 योजना आयोग ने परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2011-12 के 68वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 2011-12 के लिए गरीबी रेखा और गरीबी के अनुपात को अद्यतन किया है। तदनुसार, 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹ 816 मासिक प्रति व्यक्ति व्यय पर और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹ 1000 पर अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारित की गई। देश में गरीबी का अनुपात 2004-05 में 37.2 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गया। सम्पूर्ण रूप से गरीबों की संख्या 2004-05 में 407.1 मिलियन से घटकर 2011-12 में 269.3 मिलियन रह गई। 2004-05 से 2011-12 के दौरान औसत वार्षिक गिरावट 2.2 प्रतिशत बिंदु है (सारणी 13.4)। योजना आयोग ने “गरीबी की माप की प्रविधि की समीक्षा” करने के लिए जून 2012 में डा० सी० रंगाराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया। विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल 30 जून 2014 तक बढ़ा दिया गया है।

असमानता

13.8 एचडीआर में असमानता को दो संकेतकों के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से पहला है इन्कम जिनी कोएफीशिएन्ट, जो देश के भीतर व्यक्तियों के बीच एक समान वितरण से आय (या खपत) के संवितरण के विचलन को मापता है। भारत के लिए 2011-12 के दौरान इन्कम जिनी कोएफीशिएन्ट 33.4 था। इस संबंध में भारत में असमानता दक्षिण अफ्रीका (63.1) ब्राजील (54.7) मलेशिया (46.2) चीन (42.5) श्रीलंका (40.3), रूसी परिसंघ (40.1), थाईलैंड (40.0), तुर्की (39.0) और वियतनाम (35.6) जैसे अन्य विकासशील देशों तथा बहुत उच्च एचडीआई रैंकिंग वाले संयुक्त राज्य अमेरिका (40.8), पौलैण्ड (34.1) और स्विटजरलैंड (33.7) जैसे देशों से कम है। भारत में न केवल असमानता अन्य बहुत से देशों से कम है, यह और भी कम हो गई है जैसाकि 2010-11 के दौरान इसके जिनी कोएफीशिएन्ट 36.8 से 2011-12 के दौरान 33.4 हो जाने अर्थात् 9.2 प्रतिशत गिरावट से प्रतिबिम्बित हुई है। दूसरा संकेतक है क्वीन्टाइल इन्कम अनुपात, जो सबसे सम्पन्न 20 प्रतिशत जनसंख्या और सबसे निर्धन 20 प्रतिशत जनसंख्या की औसत आय का अनुपात है। भारत के लिए क्वीन्टाइल इन्कम अनुपात 2011-12 में 4.9 था। संयुक्त राज्य अमेरिका (8.4), स्विटजरलैण्ड (5.5), तुर्की (7.9), पौलैण्ड (5.5), रूसी परिसंघ (7.3), ब्राजील (20.6), चीन (9.6), मलेशिया (11.3), दक्षिण अफ्रीका (25.3), फिलीपीन्स (8.3) और थाईलैण्ड (7.1) जैसे देशों का अनुपात अधिक है। इसके निहितार्थ यह है कि भारत में सबसे ऊपर और सबसे नीचे के वर्गों के बीच व्याप्त असमानता बहुसंख्यक देशों से कम है।

13.9 इसी से संबंधित मुद्दा ग्रामीण-शहरी विषमता है। ग्रामीण-शहरी अन्तरों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मानदण्ड मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है जिसे जीवन स्तर मापने के लिए प्रत्येक परिवार को दिए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। एमपीसीई का समनुरूप संदर्भ अवधि अनुमानों का प्रयोग

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	कुल
गरीबी का अनुपात (प्रतिशत)			
2004-05	41.8	25.7	37.2
2011-12	25.7	13.7	21.9
गरीबों की संख्या (मिलियन)			
2004-05	326.3	80.8	407.1
2011-12	216.5	52.8	269.3
2004-05 और 2011-12 के बीच वार्षिक औसत गिरावट (प्रतिवर्ष प्रतिशत बिंदु)			
	2.32	1.69	2.18

स्रोत: योजना आयोग (तेंदुलकर प्रविधि से अनुमति)।

सारणी : 13.4 गरीबों की संख्या और प्रतिशत

उपभोक्ता व्यय में दीर्घावधिक रूझान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये पहले के और हालिया राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से उपलब्ध होते हैं। 68वें दौर के एनएसएस के निष्कर्षों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर यूआरपी अनुमानों पर आधारित औसत एमपीसीई ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्रमशः 1278.94 रुपए और 2399.24 रुपए हैं, जो ग्रामीण-शहरी विसंगति दर्शाते हैं (सारणी 13.5)। तथापि सतत मूल्य पर (2004-05) या 703.43 रुपए और 1353.82 रुपए है। सतत मूल्य पर वास्तविक एमपीसीई सात वर्षों (2004-05 से 2011-12) में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.9 प्रतिशत और शहरी भारत में अधिक 28.6 प्रतिशत बढ़ा है। 2011-12 (वर्तमान मूल्य पर) में एमपीसीई में खाद्य का हिस्सा ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्रमशः 48.6 प्रतिशत और 38.5 प्रतिशत है जो 2004-05 से क्रमशः 55.0 प्रतिशत और 42.5 प्रतिशत से गिरकर कम हो गया है। यह खाद्य से अन्य की ओर रूझान में परिवर्तन को दर्शाता है क्योंकि ग्रामीण भारत का हिस्सा शहरी भारत के हिस्से की अपेक्षा अधिक है। खाद्य पर व्यय करने से यह परिवर्तन मोटे तौर पर एन्जेल्स नियम के अनुरूप है, जिसमें यह कहा गया है कि आय बढ़ने पर समग्र आय के प्रतिशत के रूप में खाद्य पर खर्च की जाने वाली आय का हिस्सा घटता जाता है।

रोजगार और बेरोजगारी

13.10 वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान रोजगार (सामान्य स्थिति) 59.9 मिलियन व्यक्ति बढ़ा और 398.0 मिलियन से 457.9 मिलियन व्यक्ति पर पहुंच गया। परन्तु 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान यह प्रगति धीमी थी और 1.1 मिलियन व्यक्तियों पर कम वृद्धि हुई। इसमें 2009-10 से 2011-12 में फिर से तेजी आई और 13.9 मिलियन व्यक्ति कार्यबल से जुड़ गए (सारणी 13.6)। वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान रोजगार वृद्धि [चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)] सामान्य स्थिति के अनुसार 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 2.8 प्रतिशत की तुलना में केवल 0.5 प्रतिशत बढ़ी। वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर इसी अवधि के लिए

वर्ष	दौर	ग्रामीण	शहरी
सतत मूल्य (2004-05) पर एमपीसीई (₹)			
2011-12	68वां	703.42	1353.82
2009-10	66वा	599.06	1200.01
2004-05	61वा	558.78	1052.36
वर्तमान मूल्य पर एमपीसीई (₹)			
2011-12	68वां	1278.94	2399.24
2009-10	66वा	927.70	1785.81
2004-05	61वा	558.78	1052.36

स्रोत: भारत में परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षण दौर

सारणी 13.5 : अखिल भारत औसत एमपीसीई (यूआरपी)

प्रविधि	1999-2000	2004-05	2009-10	2011-12
रोजगार प्राप्त व्यक्ति और व्यक्ति दिवस (मिलियन)				
पीएस+एसएस	398.0	457.9	459.0	472.9
सीडीएस	336.9	382.8	400.8	415.7
बेरोजगार व्यक्ति और व्यक्ति दिवस (मिलियन)				
पीएस+एसएस	9.2	11.3	9.8	10.8
सीडीएस	26.6	34.3	28.0	24.7
पिछली अवधि की तुलना में रोजगार सूची (मिलियन)				
पीएस+एसएस	-	59.9	1.1	13.9
सीडीएस	-	45.9	18.0	14.9
बेरोजगारी दर (प्रतिशत)				
पीएस+एसएस	2.2	2.3	2.0	2.2
सीडीएस	7.3	8.2	6.6	5.6

सारणी 13.6 : भारत में रोजगार और बेरोजगारी का परिदृश्य

स्रोत: भारत में रोजगार और बेरोजगारी संबंधी एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षण दौर।

टिप्पणी: पीएस + एसएस: सामान्य स्थिति (प्रमुख + अनुपांगी) व्यक्ति में रोजगार मापता है, सीडीएस : वर्तमान दैनिक स्थिति व्यक्ति दिवस में रोजगार मापता है।

सीएजीआर क्रमशः 1.2 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत था।

13.11 जहां वर्ष 2009-10 और 2011-12 में भारत में रोजगार में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है, वहाँ साधारण स्थिति (पीएस + एसएस) के अन्तर्गत बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है और सीडीएस के अन्तर्गत इसमें गिरावट आई है। यद्यपि बेरोजगारी दर उस दर से, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त है, से कम हो

सकती है, वास्तविक सन्दर्भ में बेरोजगारों की संख्या काफी अधिक है। वर्ष 2004-05 के दौरान बेरोजगार लोगों की संख्या 11.3 मिलियन थी, जो 2009-10 में घटकर 9.8 मिलियन रह गई लेकिन वर्ष 2011-12 में साधारण स्थिति (पीएस+एसएस) के अन्तर्गत यह फिर से बढ़कर 10.8 मिलियन हो गई। तथापि, सीडीएस आधारित बेरोजगार मानव दिवसों की संख्या वर्ष 2004-05 में 34.3 मिलियन से कम होकर 2009-10 में 28.0 मिलियन रह गई। वर्ष 2011-12 में यह और भी कम होकर 24.7 मिलियन रह गई। इस प्रकार सीडीएस के अन्तर्गत बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई, यह 2004-05 में 8.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 5.6 प्रतिशत रह गई (सारणी 13.6)। वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 में रोजगार में मामूली सी वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी में गिरावट मानव आबादी से प्राप्त लाभों के कारण हो सकती है, क्योंकि युवा आबादी का एक बड़ा अनुपात इस बाजार में घुसने के बजाय शिक्षित होने के विकल्प को चुनता है। यह विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा के नामांकन में हुई वृद्धि से प्रतिबिम्बित होता है जो वर्ष 1990-91 में 4.9 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में 28.5 मिलियन तक पहुंच गई। इसी तरह पहली से आठवीं कक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 1999-2000 में 81.0 से बढ़कर 2010-11 में 103.9 तक पहुंच गया। सरकार अक्टूबर 2008 से कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों में रोजगार संबंधी त्रैमासिक सर्वेक्षण आयोजित करा रही है। नवीनतम त्रैमासिक रिपोर्ट के परिणाम सबसे पहले किए गए सर्वेक्षण के बाद से रोजगार में वृद्धि को इंगित करते हैं (बॉक्स 13.1)।

राज्यों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और अन्तर राज्य तुलनाएं

13.12 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संकेतकों पर आधारित चुनिन्दा राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास की अन्तर राज्य तुलनाएं कतिपय दिलचस्प परिणाम दर्शाती हैं (सारणी 13.7) :

जनसंख्या

- केरल का आबादी के दशकीय विकास (4.9 प्रतिशत) तथा महिला-पुरुष अनुपात (1084)-दो संकेतकों के सन्दर्भ में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और यह अन्य राज्यों से कहीं आगे है। अंध्र प्रदेश जनसंख्या वृद्धि के सन्दर्भ में थोड़े से अंतर से दूसरे स्थान पर तथा महिला-पुरुष अनुपात के संदर्भ में जहां तीसरे स्थान पर है, तमिलनाडु जो महिला-पुरुष अनुपात के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। इससे पता चलता है कि बिहार का जनसंख्या के दशकीय विकास (25.4) के संदर्भ में और हरियाणा का महिला-पुरुष अनुपात (879) के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।

वृद्धि

- बिहार वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (15.1 प्रतिशत) और वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक औसत जीएसडीपी (9.9 प्रतिशत) दोनों की वृद्धि दर तथा वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (13.9 प्रतिशत) के संदर्भ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने सभी तीन संकेतकों के सन्दर्भ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गुजरात और केरल अन्य दो राज्य हैं जिन्होंने इन सभी संकेतकों के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन किया है जो अखिल भारतीय औसत स्तर से ऊपर है। तथापि, जीएसडीपी के वास्तविक मूल्यों तथा प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में महाराष्ट्र और हरियाणा सबसे ऊपर हैं। इन सभी संकेतकों के संदर्भ में एक भी राज्य ने खराब प्रदर्शन नहीं किया है। जहां तमिलनाडु की वर्ष 2012-13 की जीएसडीपी की सबसे कम वृद्धि हुई है और असम की सबसे कम औसत जीएसडीपी वृद्धि है, राजस्थान की वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम वृद्धि रही है।

मानव विकास

बॉक्स 13.1 : अक्टूबर से दिसम्बर 2013 तक रोजगार संबंधी त्रैमासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

चयनित क्षेत्रों अर्थात् परिधानों सहित वस्त्रों, चमड़ा, धातु, ओटोमोबाइल, रल्ट और आभूषण, परिवहन सूचना प्रैद्योगिकी (आईटी), कार्य प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) तथा हथकरघा/पावरलूम के परिणाम निम्नलिखित हैं;

- दिसम्बर 2012 की तुलना में दिसम्बर 2013 में समग्र रोजगार दर्शाता है कि समग्र स्तर पर रोजगार में 4.19 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। इस अवधि में परिधानों सहित वस्त्र क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है (2.86 लाख), इसके बाद आईटी/बीपीओ (1.09 लाख) चमड़ा (0.44), ऑटोमोबाइल (0.16 लाख), रल्ट और आभूषण क्षेत्र (0.09 लाख) दर्ज की गई। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान धातु, परिवहन और हथकरघा/पावरलूम क्षेत्र के रोजगार में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- दिसम्बर 2013 से सितम्बर, 2013 की तिमाही में समग्र रोजगार में 0.83 लाख की वृद्धि हुई है, जिसमें सवाधिक वृद्धि वस्त्र क्षेत्र (0.92 लाख), उसके बाद आईटी/बीपीओ (0.17 लाख), चमड़ा (0.13 लाख), क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस अवधि में रोजगार में समग्र वृद्धि धातु क्षेत्र में (0.20 लाख) उसके बाद ऑटोमोबाइल में (0.11 लाख), रल्ट और आभूषण में (0.06 लाख) और परिवहन क्षेत्र में (0.02 लाख) रोजगार में आई गिरावट से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुई, जबकि हथकरघा/पावरलूम क्षेत्र में रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई।
- बीसवीं त्रैमासिक समीक्षा के परिणाम दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों में समग्र रोजगार में वृद्धि अनवरत रही, जो पहले सर्वेक्षण (अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2013) से शुरू करके अब तक 33.25 लाख कुल अतिरिक्त रोजगार के सृजन का द्योतक है।

स्रोत: श्रम व्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

सारणी 13.7 : भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और अंतर-राज्य तुलना

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मर्दें	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
जनसंख्या संबंधी*						
जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि (2001-11) (%)	11.0	17.1	25.4	19.3	19.9	12.9
लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या)	993	958	918	919	879	972
जीएसडीपी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय #						
निरपेक्ष जीएसडीपी 2012-13 (रु. करोड़)	754409	141621	313995	670016	345238	73710
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी वृद्धि 2012-13 (%)	5.1	6.1	15.1	8.0	6.5	6.1
औसत जीएसडीपी वृद्धि 2005-06 से 2012-13 (%)	8.6	5.8	9.9	9.7	8.8	8.0
निरपेक्ष प्रति व्यक्ति आय 2012-13 (रु.)	78958	40475	28774	96976	120352	83899
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2012-13 (%)	4.5	4.6	13.9	6.6	5.0	5.1
गरीबी व्यक्ति गणना अनुपात (प्रतिशत)**						
2011-12 (2004-05) ग्रामीण	11.0(32.3)	33.9(36.4)	34.1(55.7)	21.5(39.1)	11.6(24.8)	8.5(25.0)
2011-12 (2004-05) शहरी	5.8(23.4)	20.5(21.8)	31.2(43.7)	10.1(20.1)	10.3(22.4)	4.3(4.6)
2011-12 (2004-05) कुल	9.2(29.6)	32.0(34.4)	33.7(54.4)	16.6(31.6)	11.2(24.1)	8.1(22.9)
ग्रामीण शहरी असमानता 2011-12##						
ग्रामीण औसत एमपीसीई (एमएमआरपी)(₹)	1754	1219	1127	1536	2176	2034
ग्रामीण भोजन पर व्यय का हिस्सा (%)	51.4	61.3	59.3	54.9	52.1	47.3
शहरी औसत एमपीसीई (एमएमआरपी) (₹)	2685	2189	1507	2581	3817	3259
शहरी भोजन पर व्यय का हिस्सा (%)	42.3	47.7	50.5	45.2	39.2	42.4
बेरोजगारी दर (प्रति हजार)						
सामान्य स्थिति में (समायोजित)##						
ग्रामीण व्यक्ति 2011-12 (2004-05)	12 (7)	45 (26)	32 (15)	3 (5)	24 (22)	10 (18)
शहरी व्यक्ति 2011-12 (2004-05)	43 (36)	56 (72)	56 (64)	8 (24)	42 (40)	40 (38)
स्वास्थ्य संबंधी*						
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2012	41	55	43	38	42	36
जन्म दर (प्रति हजार) 2012	17.5	22.5	27.7	21.1	21.6	16.2
मृत्यु दर (प्रति हजार) 2012	7.4	7.9	6.6	6.6	6.4	6.7
शिक्षा संबंधी \$						
जीईआर (6-10 वर्ष) (2010-11)	99.5	94.3	127.7	120.3	94.9	109.2
जीईआर (11-13 वर्ष) (2010-11)	80.1	67.9	64.6	85.7	83.5	113.8
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात प्राथमिक/जूनियर बेसिक स्कूल (2010-11)	31	28	76	उ.न.	51	15
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात माध्यमिक/सेनियर बेसिक स्कूल (2010-11)	25	17	51	35	38	14
विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च/पोस्ट बेसिक स्कूल (2010-11)	26	26	68	33	26	24
वित्तीय समावेशन @						
वाणिज्यिक बैंकों के सभी कार्यालय 2012 (सं.)	8932	1711	4913	5896	3262	1237
वाणिज्यिक बैंकों के सभी कार्यालय 2013 (सं.)	9573	1841	5301	6525	3772	1338
मुख्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम						
एनआरएचएम के अंतर्गत 24 x 7 (प्राथमिक और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र 30.9.2013 की स्थिति अनुसार)\$\$	1183	575	611	451	398	156
महात्मा गांधी नरेगा						
2013-14 के अंतर्गत प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस@@	50	24	42	40	36	52
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2013-14 के दौरान रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत शेयर (%) @@	58.7	24.8	34.9	44.0	41.7	62.6
इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत 2013-14 के दौरान निर्मित मकानों की संख्या @@	172621	49978	260532	27780	3589	1206
लक्ष्य की तुलना में आईएवाई की उपलब्धि (%)	83.3	36.0	43.0	25.8	20.0	17.1

स्रोत *: भारत के महापंजीयक का कार्यालय (आरजीआई)।

#: सीएसओ (निरपेक्ष जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर हैं और जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय सतत मूल्यों पर हैं)।

**: योजना आयोग

##: एनएसएसओ

\$: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जीईआर: सकल नामांकन अनुपात; पीटीआर: विद्यार्थी अध्यापक अनुपात)।

@: सार्विकी और सूचना प्रबंध निदेशालय, आरबीआई, मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम।

\$\$: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

@@: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तमில்நாடு	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	समस्त भारत
15.6 973	4.9 1084	20.3 931	16.0 929	14.0 979	13.9 895	21.3 928	15.6 996	20.2 912	13.8 950	17.7 943
524502 5.3 7.5 77309 4.2	349338 8.2 8.1 88527 7.7	372171 9.9 8.4 44989 8.6	1372644 7.1 9.3 107670 5.8	255459 8.1 7.7 49241 5.2	286809 4.7 6.8 86106 3.9	459215 4.5 7.9 59097 2.9	744474 4.1 9.5 98550 3.5	768930 5.5 6.9 33137 3.6	620160 7.3 6.7 62509 6.4	9388876 4.5 8.0 67839 2.1
24.5(37.5) 15.3(25.9) 20.9(33.3)	9.1(20.2) 5.0(18.4) 7.1(19.6)	35.7(53.6) 21.0(35.1) 31.6(48.6)	24.2(47.9) 9.1(25.6) 17.4(38.2)	35.7(60.8) 17.3(37.6) 32.6(57.2)	7.7(22.1) 9.2(18.7) 8.3(20.9)	16.1(35.8) 10.7(29.7) 14.7(34.4)	15.8(37.5) 6.5(19.7) 11.3(29.4)	30.4(42.7) 26.1(34.1) 29.4(40.9)	22.5(38.2) 14.7(24.4) 20.0(34.2)	25.7(41.8) 13.7(25.7) 21.9(37.2)
1561 51.4 3026 40.1	2669 43.0 3408 37.0	1152 52.9 2058 42.2	1619 52.4 3189 41.6	1003 57.2 1941 45.4	2345 44.1 2794 41.0	1598 50.5 2442 44.8	1693 51.5 2622 42.7	1156 53.0 2051 44.0	1291 58.2 2591 44.2	1430 52.9 2630 42.6
9 (7) 29 (28)	68 (107) 61 (156)	4 (5) 26 (28)	7 (10) 23 (36)	22 (50) 35 (134)	19 (38) 28 (50)	7 (7) 31 (29)	20 (12) 27 (35)	9 (6) 41 (33)	27 (25) 48 (62)	17 (17) 34 (45)
32 18.5 7.1	12 14.9 6.9	56 26.6 8.1	25 16.6 6.3	53 19.9 8.5	28 15.9 6.8	49 25.9 6.6	21 15.7 7.4	53 27.4 7.7	32 16.1 6.3	42 21.6 7.0
104.7 90.7 17 27 21	91.4 103.9 23 25 25	135.2 101.4 38 39 39	104.7 92.4 29 32 32	119.4 82.0 33 26 23	84.3 80.8 26 15 23	109.9 82.4 46 26 22	111.8 112.3 27 32 35	126.9 79.9 79 69 69	92.7 86.3 45 49 46	115.5 85.2 43 33 30
7605 8400	5303 5675	4983 5398	10118 10899	3481 3782	4742 5325	5235 5664	8048 8774	12771 14014	6335 6741	106903 116448
2328	660	685	994	487	426	1661	1848	1214	596	15835
50	57	42	45	42	33	51	59	35	37	46
46.6	93.4	42.6	43.7	33.6	52.8	67.8	84.1	22.2	35.4	52.9
72496 82.6	44679 97.7	29432 26.1	45848 33.4	53163 41.5	2063 10.6	63761 74.6	23033 26.0	79385 26.7	96702 52.1	1093157 44.1

गरीबी

- गरीबी के अनुमान इंगित करते हैं कि बिहार, जिसका वर्ष 2004-05 में दूसरा सबसे अधिक गरीबी कुल गणना अनुपात (एचसीआर) है, वर्ष 2011-12 में 33.7 प्रतिशत एचसीआर के साथ ओडिशा को दूसरे स्थान पर पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया। जहां अखिल भारतीय एचसीआर 21.9 प्रतिशत था वहां 2011-12 में बिहार और ओडिशा को छोड़कर मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का एचसीआर अखिल भारतीय गरीबी स्तर से अधिक था। तथापि, ग्रामीण गरीबी के संदर्भ में ओडिशा और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर थे, जिसके बाद बिहार और असम का स्थान था। केरल में सबसे कम गरीबी (7.1 प्रतिशत) थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में (8.1 प्रतिशत) और पंजाब (8.3 प्रतिशत) का स्थान था।

ग्रामीण-शहरी असमानता

- वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में ओडिशा के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे कम एमपीसीई था और शहरी क्षेत्र में बिहार के बाद ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे कम एमपीसीई है। अन्य राज्यों की तुलना में केरल में भोजन की हिस्सेदारी पर सबसे कम व्यय करने के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक एमपीसीई देखा जा सकता है।

बेरोजगारी

- वर्ष 2011-12 तथा 2004-05 में साधारण स्थिति (समायोजित) के अनुसार गुजरात की ग्रामीण बेरोजगारी दर सबसे कम थी जिसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान था। वर्ष 2011-12 में गुजरात में ग्रामीण बेरोजगार दर प्रति एक हजार में 3 बहुत ही कम थी, जबकि अखिल भारतीय औसत एक हजार में 17 बेरोजगार व्यक्ति का है। शहरी बेरोजगारी के मामले में भी गुजरात की सबसे कम दर थी जहां शहरी बेरोजगारी के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर एक हजार में 34 व्यक्ति बेरोजगार हैं। वर्ष 2011-12 में गुजरात में एक हजार व्यक्तियों में 8 व्यक्ति बेरोजगार हैं जो काफी कम है। महाराष्ट्र एक हजार में 23 बेरोजगार व्यक्ति के आंकड़े के साथ थोड़ा सा पीछे दूसरे स्थान पर है। हालांकि वर्ष 2011-12 में केरल की बेरोजगारी दर (शहरी और ग्रामीण) में गिरावट आई है, इसके बाद भी यह सबसे अधिक है। यह शिक्षित व्यक्तियों खासतौर से महिलाओं जो सही रोजगार की तलाश में रहती हैं, के बेरोजगार होने के कारण है। यह 15-59 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं के कम श्रम बल भागीदारी के साथ ही अखिल भारतीय औसत से कम श्रम बल भागीदारी वाली ग्रामीण महिलाओं के बारे में इंगित करता है। केरल के बाद असम और उसके बाद बिहार, प. बंगाल, हरियाणा और ओडिशा में बहुत अधिक ग्रामीण बेरोजगारी है और बिहार के बाद प. बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में अधिक शहरी बेरोजगारी है।

स्वास्थ्य

- वर्ष 2012 में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) केरल (12) में सबसे कम थी और मध्य प्रदेश (56) में सर्वाधिक थी, इसके बाद राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 42 के मुकाबले असम में (55), ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश (हरेक में 53) थी। सबसे कम जन्म दर केरल (14.9) में और सर्वाधिक जन्म दर बिहार (27.7) में थी जबकि राष्ट्रीय औसत जन्म दर 21.6 थी। 7.0 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में सबसे कम मृत्यु दर महाराष्ट्र और प. बंगाल (6.3) की थी और ओडिशा में सबसे अधिक (8.5) रही।

शिक्षा

- वर्ष 2010-11 के दौरान 6-10 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) मध्य प्रदेश (135.2) का है, इसके बाद बिहार (127.7) का स्थान है जबकि पंजाब (84.3) का सबसे कम जीईआर है। 11-13 वर्ष के आयु वर्ग में हिमाचल प्रदेश में जीईआर सर्वाधिक (113.8) है। इसके बाद तमिलनाडु (112.3) का है, बिहार का जीईआर (64.6) के बाद असम (67.9) का जीईआर सबसे कम है। 6-10 वर्ष के आयु वर्ग में जीईआर के मुकाबले 11-13 वर्ष के आयु वर्ग में अपेक्षाकृत कम जीईआर इंगित करता है कि प्राइमरी कक्षाओं में प्रविष्टि की तुलना में विद्यार्थियों का प्राइमरी कक्षा से उच्च प्राइमरी कक्षा में पारगमन अपेक्षाकृत कम है। अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राथमिक, मध्य और उच्च शिक्षा के स्कूलों में यह अनुपात काफी अधिक हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

वित्तीय समावेशन

- वर्ष 2013 में, अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों में कुल 1,16,448 शाखाओं के साथ सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों के कवरेज का विस्तार किया गया है। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में (14,014) सर्वाधिक बैंक शाखाएं हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है।

सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रम

यद्यपि कुछ सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए राज्यवार संकेतक हैं, यह संभव नहीं है कि सिर्फ संख्या के आधार पर राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए।

- एनआरएचएम के अंतर्गत 24x7 प्राथमिक और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र सुविधाओं के संदर्भ में प्रगति कर्नाटक (2328) में सर्वाधिक है, इसके बाद तमिलनाडु और राजस्थान है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश (156) तथा हरियाणा में (398) है।
- वर्ष 2013-14 में मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस तमिलनाडु (59 दिन) में सबसे ज्यादा है, इसके बाद केरल (57 व्यक्ति दिवस) है, 46 व्यक्ति दिवसों के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले असम (24 दिवस) में सबसे कम है जिसके बाद पंजाब (33) है। जबकि मनरेगा के अंतर्गत महिला रोजगार का हिस्सा केरल (93.4 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा है, इसके बाद तमिलनाडु (84.1 प्रतिशत) का है तथा यह उत्तर प्रदेश में (22.2 प्रतिशत) सबसे कम है जिसके बाद असम (24.8 प्रतिशत) का स्थान है।
- वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजना के लिए समग्र लक्ष्य उपलब्धि 44 प्रतिशत थी जिसमें केरल (97.7 प्रतिशत) लक्ष्य हासिल किया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (83.3 प्रतिशत) और कर्नाटक (82.6 प्रतिशत) की सबसे ज्यादा लक्ष्य उपलब्धि रही। पंजाब (10.6 प्रतिशत) के बाद सबसे कम लक्ष्य उपलब्धि हिमाचल प्रदेश (17.1 प्रतिशत) की रही।

13.13 उपलब्ध विविध संकेतकों पर आधारित राज्यों के निष्पादन की अन्तरराज्यीय तुलना कुछ स्पष्ट नीतिगत संकेतों को प्रस्तुत करती है। जहां विकास संकेतकों के सन्दर्भ में कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वहीं अन्य मानव विकास संकेतकों के सन्दर्भ में उनका खराब प्रदर्शन रहा है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को तैयार करते समय और उन्हें क्रियान्वित करते समय तथा राज्यों को निधियों के अन्तरण का मापदण्ड बनाते समय मानव विकास आयामों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने तथा राज्यों को निधियां अंतरण के दौरान मानव विकास के आयामों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

समावेशी विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

13.14 समावेशी विकास में सामाजिक और वित्तीय समावेशन शामिल हैं और अधिकांश मामलों में सामाजिक रूप से शामिल न किए गए लोग आर्थिक रूप से भी छोड़ दिए जाते हैं। भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे आबादी के कई खण्ड सामाजिक और वित्तीय समावेशन से जूझते रहे हैं। सरकार की नीतियां इन उपेक्षितों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निर्देशित हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार कई सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम कार्यान्वित करती आ रही है। इन्हें निम्नलिखित बड़े शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, सामाजिक संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और विकास, शहरी अवसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और कमज़ोर वर्गों का कल्याण और विकास।

गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम

13.15 गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

महात्मा गांधी नरेगा: महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी के साथ आस्तियों के सृजन के जरिए जो अकाल, बन विनाश तथा मृदा क्षण जैसे चिरकालिक गरीबी के कारणों को दूर करते हैं और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारण्टीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2013-14 में 33000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना को 46 व्यक्ति दिवसों के औसत मजदूरी रोजगार के साथ 4.78 करोड़ परिवारों को व्यक्ति दिवस रोजगार प्रदान किया गया है। इस अवधि में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यक्ति दिवसों का हिस्सा क्रमशः 53 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 17 प्रतिशत था। कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ-ए-एल.) हेतु तय मजदूरी के साथ, इस योजना के अन्तर्गत औसत मजदूरी वर्ष 2006-07 के वित्त वर्ष में 65 रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 132 रुपए कर दी गई है जिससे कृषि मजदूरों की मोल-भाव की शक्ति में इजाफा हुआ है। इससे आर्थिक परिणाम भी बेहतर हुए हैं, खासतौर से संभाव्य क्रियाकलापों में तथा निराश होकर प्रवर्सन की ओर रुख करने में भी कमी आई है। बॉक्स 13.2 में हाल ही उठाए गए कुछ कदमों को सूचीबद्ध किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)-आजीविका: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक संपोषित करना और सहायता देना है जब तक वे दयनीय गरीबी से उबर नहीं जाते। यह कार्य योग्यता पर आधारित स्व-सहायता समूह में प्रत्येक परिवार से एक महिला को सुनियोजित तथा गांव में उनके संघ बनाकर और उच्चतर स्तर पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार जो 6-8 वर्षों के लिए इस स्व-सहायता समूह नेटवर्क से जुड़ जाता है, परिवार की खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ दृढ़ समाभिस्पता के माध्यम से उसके पास आजीविका के 3-4 स्थायी साधन प्राप्त करे। इस मिशन ने 97,391 गांवों को कवर किया है और लगभग 20 लाख एसएचजी को इस कार्य में लगाया है, जिसमें से 3.8 एसएचजी नए हैं। 2013-14 के दौरान 22121.18 करोड़ रुपए के एसएचजी बैंक ऋण संवितरित किए गए। वर्ष 2014-15 में एनआरएलएम के लिए 3560 करोड़ रुपए आंवटित किए गए हैं।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम): सित. 2013 में एसजेएसआरवाई को एनयूएलएम से जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगारों के लिए लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। यह एनयूएलएम एसएचजी में शहरी गरीबों को संगठित करने

बॉक्स 13.2 : महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत हाल ही में उठाए गए कुछ कदम

- निर्मल भारत अभियान (टीएससी) के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण कराना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराना, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत गांव में खेल के मैदान तैयार करना जैसे अन्तर विभागीय समाभिस्पता और सहयोगी क्रियाकलाप और संभारण प्रबन्धन कार्यक्रमों के साथ समाभिस्पता।
- सभी कामगार महिलाओं के लिए व्यक्तिगत बैंक/डाक खाते खुलवाने के लिए कदम उठाना।
- विधवाओं, परिव्यक्त और बेसहारा महिलाओं की पहचान कर उनके लिए रोजगार कार्ड मुहैया कराना।
- राज्यस्तर पर समय और गति संबंधी, तथा कार्य के आधार पर दर सूची तय करने असमर्थ और अन्य असुरक्षित व्यक्तियों के लिए कदम उठाना।
- महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत अनुमेय मौजूदा सूची में और नए कार्यों को जोड़ना खासतौर से जो ग्रामीण आजीविका तथा कृषि क्रियाकलापों पर आधारित होते हैं।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

पर ध्यान केंद्रित करेगा, बाजार आधारित रोजगार को बढ़ाने के लिए कौशल विकास हेतु अवसर पैदा करेगा और ऋण की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में उनकी मदद करेगा। इस मिशन का उद्देश्य शहर में रहने वाले बेघर लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय मुहैया कराना है। इस मिशन की योजना शहर में गलियों में फेरी लगाने वालों की आजीविका की समस्या को दूर करने की भी है। वर्ष 2013-14 के दौरान 720.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और काफी लोगों को प्रशिक्षित किया गया तथा क्रमशः 6,83,452 और 1,06,250 लोगों को स्वरोजगार में मदद की गई।

सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम

13.16 क्तिपय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

आम आदमी बीमा योजना: 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच उन व्यक्तियों को जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करती है जो 47 व्यावसायिक/पेशेवर समूहों जिनमें ग्रामीण भूमिहीन परिवार शामिल हैं, के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे अथवा उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं, यह योजना योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। यह योजना प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण स्थाई विकलांगता होने पर 75000 रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना अध्ययन करने वाले अधिकतम दो बच्चों को अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले, प्रति बालक 100 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम प्रति लाभार्थी 200 रु. है, जिसमें से 50 प्रतिशत का अंशदान सामाजिक सुरक्षा निधि और बाकी 50 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार/नोडल ऐजेन्सी/लाभार्थी द्वारा किया जाता है। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 4.61 करोड़ व्यक्ति कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई): असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को परिवार अस्थायी आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपए की स्मार्ट-कार्ड-आधारित धनरहित (कैशलैस) स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करती है, जिसमें मातृत्व लाभ भी शामिल है। वर्तमान स्थिति में लगभग 6.85 करोड़ बीपीएल परिवार लक्षित हैं और 70.98 लाख अस्पताल में भर्ती के मामलों की सूचना है। 31 मार्च 2014 के अनुसार आरएसबीवाई के अंतर्गत 3.69 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को कवर किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 885.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। आरएसबीवाई के लाभ चरणबद्ध रूप से सभी असंगठित कामगारों तक पहुंचाया जा रहा है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि: इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की गई है जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेगा। 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है जो बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों, रिक्षा चालकों, बीड़ी बनाने वालों आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त इस निधि में 500 करोड़ रुपए और दिये गये हैं।

ग्रामीण अवसंरचना और विकास कार्यक्रम

13.17 ग्रामीण अवसंरचना और विकास कार्यक्रम अधिक ग्रामीण-शहरी एकीकरण तथा समाज के गरीब और वर्चित वर्गों के लिए विकास और अवसर के समान पैटर्न प्राप्त करने के लिए परिकल्पित है। ऐसे कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना (आईएवाई): इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्राम सभा द्वारा पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले बेघर लोगों तथा उन लोगों को जो जीर्ण-शीर्ण तथा कच्चे घर में रहते हैं, घर मुहैया कराना है। इसके साथ ही भूमिहीन गरीबों के लिए घर बनाने के लिए स्थान मुहैया कराए जाएंगे। आईएवाई के अन्तर्गत एक आश्रयविहीन बीपीएल परिवार को मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रु., पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपए की राशि की सहायता प्रदान की जाती है। नए घर के निर्माण के लिए जिला स्तरीय समेकित कार्य योजना भी चलाई जाती है। कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों की हालत ठीक करने के लिए 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। घर के लिए जगह खरीदने के लिए 20,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान निर्माण का भौतिक लक्ष्य 24.81 लाख घर बनाने का है, जिनमें से 10.93 लाख घरों का निर्माण कर लिया गया है और 23.76 लाख घर बनाए जाने हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 24.81 लाख घर बनाने के लिए कुल 13,894.90 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है और 12,970 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): पीएमजीएसवाई पूर्ण रूप से वित्त पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्ति या उससे अधिक की है तथा (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) विशेष श्रेणी वाले राज्यों, चुनिन्दा जनजाति और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 व्यक्ति या उससे अधिक है, की सभी पात्र सम्पर्कहीन बस्तियों को सभी मौसम के लिए सड़क सम्पर्क मुहैया कराना है। इसमें मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को भी अनुमति प्रदान की गई है। आरंभ से ही 144717 बस्तियों को नए सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए कुल लगभग 544462 कि.मी. की परियोजनाओं को 182,560 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी की गई है, जिसमें उन्नयन भी शामिल है। कुल 399,979 कि.मी. लंबी सड़क पूरी कर ली गई है और मार्च 2014 तक 97,838 से भी अधिक बस्तियों को नए सम्पर्क से जोड़ा गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 6560 बस्तियों के लिए नए सम्पर्क के साथ 25316 कि.मी. लंबी सर्व-मौसमी सड़क पूरी कर ली गई है जिस पर 13095 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। चुनिन्दा मौजूदा सड़कों के उन्नयन का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।

ग्रामीण पेय जल-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी): एनआरडीडब्ल्यूपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर के दायरे में या फिर अधिकतम 50 मीटर की दूरी में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर पानी उपलब्ध हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 68 प्रतिशत कवरेज है। हालांकि भूमिगत जल स्तर कम होने, आबादी बढ़ने, सेवा के स्तर को बढ़ाने की मांग और योजना में ग्राम पंचायत और समुदायों की कम भागीदारी, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के कारण कुछ कमियां रह जाती हैं। विविध कारणों से पेय जल स्रोत के प्रदूषण का बढ़ना एक दूसरी समस्या है। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कम से कम 40 एलपीसीडी सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था के साथ लगभग 73.8 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों को पूरी तरह कवर किया गया है। शेष को या तो आंशिक रूप से कवर किया गया है या पेय जल स्रोत में रासायनिक संदूषण है। वर्ष 2013-14 के दौरान 1,41,838 बस्तियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से 152,423 बस्तियों के कवरेज की सूचना है। ग्रामीण पेय जल आपूर्ति के लिए परिव्यय 2005-06 में 4098 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 9700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एनएसएस के 69वें दौर के अनुसार (जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के पेय जल संबंधी मुख्य संकेतक) भारत में अनुमानित 88.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार थे, जिन्हें बेहतर स्रोतों से पेय जल प्राप्त हुआ और 11.5 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिन्हें काम चलाऊ स्रोतों से पेय जल प्राप्त हुआ। तथापि जनगणना 2011 में यह बताया गया है कि 84.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवार की नलों, हाथ के नलों और ढके हुए कुंओं से सुरक्षित पेय जल स्रोत तक पहुंच है।

ग्रामीण स्वच्छता-निर्मल भारत अभियान (एनबीए): जनगणना 2011 के अनुसार केवल 32.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा है। वर्ष 2012 में आरंभ हुए एनबीए का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी परिवारों के लिए शत प्रतिशत स्वच्छता प्राप्त करना है। आज की स्थिति के अनुसार 607 जिलों में 22,672 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एनबीए परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से केन्द्र का हिस्सा 14,888 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 (संशोधित अनुमान) में एनबीए का आवंटन 1500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2015 (सं. अ.) में 2300 करोड़ रुपए हो गया है। प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय के प्रोत्साहन प्रावधान को सभी बीपीएल परिवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के परिवारों, जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, को कवर करके और अधिक व्यापक बनाया गया। वार्षिक रूप से उन परिवारों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2002-03 में 6.21 लाख से बढ़कर 2012-13 में 45 लाख हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान (मार्च 2014 तक) परिवारों को 49 लाख से भी अधिक शौचालय मुहैया कराए गए।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ): बीआरजीएफ कार्यक्रम 2007 में शुरू किया गया और इस समय यह कार्यक्रम गोवा को छोड़कर 27 राज्यों के उन 272 जिलों, जिनकी पिछड़दे जिलों के रूप में पहचान की गई है, में लागू है। बीआरजीएफ के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां पूरक और परिवर्तित मौजूदा विकास अंतर्वाहिं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती हैं और उन स्थानीय अवसंरचना तथा विकास की, जो निधियों के अन्य स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हो पा रही हैं, के बीच आए अन्तर को दूर कर रही है। जमीनी शुरूआत के साथ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही यह योजना भागीदारी स्वरूप की है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 2800 करोड़ रु. (सं. अनुमान) का समस्त बजटीय आवंटन जारी किया जा रहा है।

शहरी अवसंरचना कार्यक्रम

13.18 बेहतर शहरी अवसंरचना, आवास, स्वच्छता प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम): जेएनएनयूआरएम दिसम्बर 2005 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी अथवा शहरी स्थानीय निकायों के दायित्व के माध्यम से शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें शहरी अवसंरचना के उन्नयन, बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण और गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। इस मिशन को (क) शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं (आईएचएसडीपी) और (ख) एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। यह बीएसयूपी देश के 65 चुनिन्दा शहरों में लागू है और शेष बचे शहरों को आईएचएसडीपी के अंतर्गत कवर किया गया है। बीएसयूपी के अंतर्गत 9,68,486 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए कुल 28,569.9 करोड़ रुपए की लागत की 519 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। आईएचएसडीपी के अंतर्गत 910 शहरों में 5,52,288 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए कुल 11,681.51 करोड़ रुपए की लागत बाली 1070 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 8,03,453 घर का निर्माण किया जा चुका है। 5,80,030 घरों में लाभार्थियों ने रहना शुरू कर दिया है। इन परियोजनाओं के लिए 21,594.83 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से राज्यों को 17,117.99 करोड़ रुपए संवितरित कर दिए गए हैं।

राजीव आवास योजना (आरएवाई): राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत बनाने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011 में शुरू की गई थी और कुल 2468.51 करोड़ रुपए

की परियोजना लागत जिसमें केन्द्रीय हिस्सा 1361.84 करोड़ रुपए हैं, के साथ कार्यक्रम के पहले चरण में 54 प्रायोगिक परियोजनाओं तथा 228 शहरों को शामिल किया गया है। क्रियान्वयन के चरण में 78,664 आवास इकाइयों के निर्माण/उन्नयन की 112 परियोजनाओं, जिनकी कुल लागत 4003.55 करोड़ रुपए है और जिसमें केन्द्र का हिस्सा 2169.35 करोड़ रुपए है, संस्थीकृत किए गए।

शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम

13.19 भारत को अपनी जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का पूरा लाभ लेने के लिए अपनी युवा आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और उनमें कौशल का विकास करना होगा। इस समय बुनियादी और माध्यमिक दोनों में शिक्षा तथा उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा पाने के अधिकार के उद्देश्य के साथ अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम 2009 लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नए स्कूलों, अतिरिक्त कक्षा कमरों, अध्यापकों, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, वर्दी, आवासीय सुविधा, परिवहन, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों की समान रूप से शिक्षा तक पहुंच है। वर्ष 2013-14 तक एसएसए की उपलब्धियों में ये शामिल हैं: 3,57,611 नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, 2,77,093 स्कूल भवन बनवाना, 15,87,836 अतिरिक्त कक्षा के कमरे, 2,23,939 पेय जल सुविधाएं और 7,83,349 शौचालयों का निर्माण, 15.06 लाख अध्यापकों की नियुक्ति, ब्लाक और कलस्टर रिसोर्स सेंटर में 53.33 लाख अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना शामिल है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम): एमडीएम योजना का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय श्रम परियोजना के विद्यालयों में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। साथ ही मदरसों/मकतबों सहित इंजीएस और वैकल्पिक एवं आधुनिक शिक्षा केन्द्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 13,215 करोड़ रुपए के बजट आवंटन में से 10,927 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इससे लगभग 10.80 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचा है। इस योजना को मॉनीटर करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है जिसमें एनएबीएल/सीएसआईआर/एफएसएसएआई सम्बद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन के नमूनों का परीक्षण करना भी शामिल है। इस योजना को एमडीएम-एमआईएस वेब पोर्टल के जरिए मॉनीटर किया जा रहा है। इसे इन्टरेक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली से जोड़ा जाएगा जो सामुदायिक भागीदारी के जरिए इसे वास्तव में मॉनीटर करेगी।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ाना और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिससे 2017 तक 90 प्रतिशत तक जीईआर और 2020 तक व्यापक रूप से स्कूल जाते रहना सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2013-14 के दौरान आरएमएसए के अंतर्गत राज्यों को 3045.87 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आरएमएसए के अंतर्गत निधियों का सही ढंग से उपयोग तथा अच्छे समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा योजना और गर्ल्स होस्टल स्कीमें चलाई गई हैं।

स.घ.उ. के एक अनुपात के रूप में शिक्षा पर व्यय 2008-09 के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 (ब.अ.) में 3.3 प्रतिशत हो गया है। इसमें न केवल आगे और बढ़ि करने की बल्कि इसकी गुणवत्ता से संबंधित पहलुओं पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मॉडल स्कूल योजना: मॉडल स्कूल योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में नामंकन बढ़ने से उत्तीर्ण हुए छात्रों को माध्यमिक स्कूलों में भवन क्षमता के आधार पर अपने यहां स्थान देना है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के दो रूप हैं: (i) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों (ईबीबी) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के जरिए 3500 स्कूल स्थापित किए जाने हैं और (ii) शेष 2500 स्कूल पीपीपी मोड के जरिए ऐसे ब्लाकों में स्थापित किए जाने हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। मई 2014 तक सबसे पहले संघटक के अंतर्गत 22 राज्यों में 2166 मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्वीकृतियां दी जा चुकी हैं और इन राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3184.64 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 2010-11 से 12 राज्यों में 1184 स्कूलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। पीपीपी के अंतर्गत दूसरा संघटक वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया और इसके अंतर्गत कई ब्लॉकों में 500 स्कूलों को तैयार कराए जाने का प्रस्ताव है।

साक्षर भारत (एसबी)/प्रौढ़ शिक्षा: एसबी का केन्द्र बिन्दु महिला साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 73 प्रतिशत साक्षरता हो पाई गयी है। महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत अधिक सुधार हुआ है। 64.64 प्रतिशत महिला साक्षरता की तुलना में 80.89 प्रतिशत पुरुष साक्षरता अभी भी अधिक है लेकिन बाद में यह पहले के 5.6 प्रतिशतांक की तुलना में बढ़कर 10.9 प्रतिशत तक हो गई। मार्चान्त 2013 तक इस कार्यक्रम को 25 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 383 अन्य महिला साक्षरता जिलों की 1.61 लाख ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत किया गया। 1.52 लाख से भी अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनसे 2.42 लाख ग्रामीण समन्वयक जुड़े हुए हैं। अगस्त 2013 तक लगभग 24.37 लाख पढ़ना सीखने वाले व्यक्तियों, जिनमें 3/4 महिलाएं हैं, ने राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मूल साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। जन शिक्षण संस्थानों द्वारा लगभग 2 मिलियन बयस्कों को विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में कुशल बनाया गया। पूर्ण रूपेण सक्षर समाज स्थापित करने के लिए कार्यक्रम के प्रयासों को मान्यता देने और उसका सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा एस.बी. को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2013 से नवाजा गया। जबकि एसएसए ने प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने में सहायता की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। प्रथम, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है और शिक्षा संबंधी वार्षिक प्रास्थिति रिपोर्ट 2013 में 550 जिलों में किए गए ग्रामीण बच्चों का वार्षिक सर्वेक्षण में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है (सारणी 13.3)। जबकि शैक्षिक उपलब्धि का गिरता स्तर जो चिंता का विषय है, यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षण के निम्न स्तर के कारण कितनी गिरावट आयी है, और इस कारण से कितना गिरा है कि स्कूल में नामंकन के लिए विद्यार्थियों तक कम पहुंच बनाते हैं और पहले की तुलना में उनकी तैयारी कम रहती है।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा:

13.20 प्रमात्रा के संदर्भ में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या स्वतंत्रता के समय क्रमशः 20 और 500 से 2012-13 में 723 विश्वविद्यालय और इसी स्तर की संस्थाएं और 37,204 महाविद्यालय तथा 11,356 डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं हैं। भारत में उच्च शिक्षा की संस्थाओं की संख्या सबसे अधिक है। उच्च शिक्षा में सकल नामंकन अनुपात 2004-05 की तुलना में लगभग दोगुना होकर 2011-12 में 20.4 प्रतिशत हो गया जबकि 28.5 मिलियन छात्रों का नामंकन हुआ। हालांकि भारत की कुछ शिक्षा संस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं में शामिल हैं किंतु अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हाल में उठाए गए कुछ कदमों का नीचे उल्लेख किया गया है।

- उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा उसमें सुधार लाने के लिए संस्थाओं के गठन, विस्तार और सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और नवप्रवर्तन के माध्यम से पहुंच, समानता, गुणवत्ता पर प्रमुख ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)

बॉक्स 13.3 : एएसईआर 2013 : मुख्य निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक पहलू

- नामंकन में वृद्धि: वर्ष 2013 में ग्रामीण भारत के 6-14 वर्ष की आयु के 96.8 प्रतिशत बच्चों का नामंकन स्कूलों में किया गया, नामंकन न किए गए बच्चों का अनुपात मापूली रूप से गिरा और 2012 के 3.5 प्रतिशत से 2013 में 3.3 प्रतिशत हो गया। 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बालिकाओं का अनुपात, जिनका नामंकन स्कूलों में नहीं हुआ था, 2012 के 6 प्रतिशत से घटकर 2013 में 5.5 प्रतिशत पर आ गया। 6-14 वर्ष के बच्चों का निजी स्कूलों में नामंकन निरंतर बढ़ते हुए 2006 के 18.7 प्रतिशत से 2013 में 29.0 प्रतिशत पर आ गया।
- बालिकाओं हेतु शौचालय की बेहतर व्यवस्था : बिना शौचालय वाले स्कूलों का अनुपात (बालिका + बालक) घटकर 2012 के 8.4 प्रतिशत से 2013 में 7.2 प्रतिशत रह गया। बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय वाले स्कूलों के अनुपात में सुधार हुआ है और 2010 के 32.9 प्रतिशत से 2013 में 53.3 प्रतिशत पर आ गया है।
- स्कूलों में अधिकाधिक पुस्तकालय: पुस्तकालय रहित स्कूलों का अनुपात 2011 के 28.7 प्रतिशत से घटकर 2013 में 22.9 प्रतिशत रह गया है।
- विद्यार्थी अध्यापक अनुपात का अनुपालन: छात्र अध्यापक अनुपात संबंधी शिक्षा का अधिकार की अनुपालना करने वाले स्कूलों के अनुपात में लगातार वृद्धि होती रही है, जो 2010 के 38.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 45.3 प्रतिशत पर आ गया है।
- पेयजल की सुविधा में सुधार: जिल स्कूलों में पेय जल की सुविधा नहीं है, उनका अनुपात 2010 में 17.0 प्रतिशत से घटकर 2013 में 15.2 प्रतिशत रह गया है, यह इसलिए संभव हुआ कि उपयोग लायक पेयजल की सुविधा में मापूली सुधार आया जो 2012 के 73.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 73.8 प्रतिशत पर आ गया।

कुछ नकारात्मक पहलू:

- अध्यापक कक्षा अनुपात घट रहा है: कम से कम एक कक्षा प्रति अध्यापक वाले स्कूलों का अनुपात घटता जा रहा है, जो 2010 में 76.2 प्रतिशत से 2013 में 73.8 प्रतिशत पर आ गया; आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मिजोरम जैसे राज्य इसके अपवाद हैं।

जारी....

नामक एक नई मिशन मोड स्कीम शुरू की गई है जिसे मानदंड आधारित वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। बारहवीं योजनावधि के दौरान आरयूएसए के अंतर्गत कॉलेजों/किसी एक समूह के अंतर्गत स्थित कॉलेजों को सरकारी विश्वविद्यालयों में बदलकर और अन्य संबंधित अवसंरचनाएं स्थापित करके 80 नए विश्वविद्यालयों को गठित किया जाएगा।

- चार वर्षीय कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) का चरण II अभी विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है जिसमें प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के आधार पर लगभग 200 संस्थाओं को शामिल किया गया है। टीईक्यूआईपी के अंतर्गत कुल 187 संस्थाओं का चयन किया गया है।
- 2009-10 में शुरू की गई शिक्षा ऋण पर ब्याज में सब्सिडी की एक स्कीम के अंतर्गत भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शिक्षा ऋण स्कीम के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तबके के सभी छात्रों द्वारा बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर ऋण को चुकाने पर स्थगन की अवधि के दौरान ब्याज की संपूर्ण राशि के लिए सब्सिडी दी जाती है। 2009-12 की अवधि के दौरान शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में 2231.23 करोड़ रु. की राशि जारी की गई जिससे लगभग 25 लाख छात्रों को लाभ पहुंचा।
- कौशल अधिगम परिणामों का मानकीकरण करने तथा गतिशीलता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से संयोजित किया गया है। इसके द्वारा पॉलिटेक्निक विषय पर चलाए जा रहे उप-मिशन के अंतर्गत 287 नए पॉलिटेक्निक स्कूल खोले गए हैं तथा मौजूदा 457 पॉलिटेक्निक स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2012-13 में पॉलिटेक्निक के माध्यम से 2.07 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा गत पांच वर्षों के दौरान चार क्षेत्रीय प्रशिक्षित बोर्डों में 3.5 लाख व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए हैं।

कौशल विकास

13.21 कौशल विकास न केवल मानव आबादी का लाभ उठाने के लिए अपितु बेहतर सामवेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कृशल व्यक्तियों की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर को पाठने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने मार्च 2014 तक 158 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। 129 प्रशिक्षण प्रस्तावों तथा 29 सेक्टर स्किल काउंसिलों पर कुल 2215.89 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। वर्ष 2010 के बाद एनएसडीसी के कौशल-निर्माता भागीदारों की सहायता से कुल 19,54,300 व्यक्तियों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें से 60 प्रतिशत को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया गया है। 2013-14 में एनएसडीसी के भागीदारों ने देश के 366 जिलों में स्वास्थ्य, विनिर्माण, इलैक्ट्रोनिक्स और हार्डवेयर, पर्यटन, अतिथि सत्कार और यात्रा से लेकर बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, खुदरा सूचना प्रौद्योगिकी और वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 10,05,075 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। 1000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन तथा मौद्रिक पुरस्कार स्कीम जिसे आमतौर पर स्टार (एसटीएआर) के नाम से जाना जाता है, नए कौशल को प्राप्त करने पर मौजूदा कौशल को अपग्रेड करने के इच्छुक व्यक्तियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। यह स्कीम 16 सितंबर 2013 को चालू की गई तथा इसमें 206 पाठ्यक्रमों में 4 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश भर में स्थित 6402 केंद्रों के 559 साझेदारों से जुड़कर 3,44,545 प्रशिक्षणार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। उड़ान नामक एक विशेष कौशल प्रशिक्षण पहल के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के डिप्लोमा धारकों, स्नातकों, और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं के लिए निजी क्षेत्र के नेतृत्व में एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें देश भर की 47 कंपनियों से आए 61893 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च 2014 तक 36 कंपनियों से आए 4318 व्यक्ति

बॉक्स 13:3 : एएसईआर 2013 : मुख्य निष्कर्ष (जारी....)

- मूल पठन स्तर में गिरावट : पांचवीं कक्षा के सभी बच्चे दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ सके इसके अनुपात में गिरावट आयी है, जो 2010 में 53.7 प्रतिशत से घटकर 2013 में 47.0 प्रतिशत पर आ गया है।
- गणित के स्तर में गिरावट : तीसरी कक्षा के ऐसे बच्चों के प्रतिशत में कमी आई है जो घटाव के द्विअंकीय सरल प्रश्नों को हल कर सकते हैं और यह प्रतिशत 2009 के 39.1 प्रतिशत से घटकर 2013 में 26.1 प्रतिशत पर आ गया। तथापि, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसके अपवाद हैं। जहां गणित का स्तर श्रेणी III-V के लिए ऊपर उठा है।
- बच्चों की उपस्थिति घटी है : बच्चों की उपस्थिति (कक्षा I-V) में गिरावट आयी है, जिसमें 2010 में 72.9 प्रतिशत था घटकर 2013 में ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में 70.7 प्रतिशत रह गया है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु इसके अपवाद हैं।
- विभिन्न कक्षाओं के लिए एक ही कमरा : कक्षा 2 और कक्षा 4 की आधे से अधिक कक्षाएं ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में एक साथ बैठती हैं।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय

कौशल विकास न केवल जनांकीय लाभ की स्थिति अर्थात् देश की आबादी में युवाओं की अधिक संख्या का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है बल्कि यह अधिक समावेशी विकास के लिए भी आवश्यक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए जिनमें से 1451 ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। अगले वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य से 8000 व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

13.22 भारत की एक बड़ी आबादी और विशेषकर निर्धन और साधनविहीन लोगों को गुणवत्तापूर्ण तथा वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में वर्षानुवर्ष वृद्धि होती रही है। वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई और परिव्यय की कुल राशि 32,745 करोड़ रु. पहुंच गई। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर केंद्र तथा राज्यों का संयुक्त राजस्व और पूँजीगत व्यय 2006-07 के 53,557 करोड़ से बढ़कर 2012-13 (बजट अनुमान) में 1,36,296 करोड़ रु. हो गया। बारहवीं योजना में स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए केंद्र सरकार के परिव्यय को 200 प्रतिशत बढ़ाकर 3,00,018 करोड़ कर दिया गया जबकि ग्यारहवीं योजना में वास्तविक परिव्यय 99,491 करोड़ रु. था। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्रक में चुनिंदा स्वास्थ्य सूचकों में प्रदर्शित प्रगति (सारणी 13.8) प्रभावपूर्ण है किंतु भारत के स.घ.ड. में मात्र 1.4 प्रतिशत भागीदारी को देखते हुए भारत की बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण तथा वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर व्यय भारत के स.घ.ड. का मात्र 1.4 प्रतिशत है। भारत की बड़ी आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण और वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य पर व्यय भारत के स.घ.ड. का मात्र 1.4 प्रतिशत है। भारत की बड़ी आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण और वहनीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

क्रम सं	पैरामीटर	1981	1991	2001	वर्तमान स्तर
1.	अशोधित जन्मदर (सीबीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	33.9	29.5	25.4	21.6 (2012*)
2.	अशोधित मृत्युदर (सीडीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	12.5	9.8	8.4	7.0 (2012*)
3.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर)	4.5	3.6	3.1	2.4 (2012*)
4.	मातृक मृत्यु अनुपात (एमएमआर) (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)	उ.न.	उ.न.	301 (2001-03)	178 (2010-12*)
5.	शिशु मृत्युदर (आईएमआर) (प्रति 100,000 जीवित जन्म)	110	80	66	42 (2012*)
	ग्रामीण	उ.न.	उ.न.	उ.न.	46
	शहरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	28
6.	बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	41.2	26.5	19.3	11 (2012*)
7.	जन्म से समय आयु संभाविता (1981-85) (1989-93) (1999-03) (2006-10)**				
	कुल	55.4	59.4	63.4	66.1
	पुरुष	55.4	59.0	62.3	64.6
	महिला	55.7	59.7	64.6	67.7

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; *प्रतिदर्शी पंजीकरण सर्वेक्षण (एमआरएस), भारत का महापंजीयक (आरजीआई) **सक्षिप्त जीवन सारणी 1999-03, 2003-07 से 2006-10 आरजीआई।

13.23 स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नीचे उल्लेख किया गया है:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को 2013 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना था। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज में विस्तार लाने के लिए एनएचएम में दो उप मिशनों एनआरएचएम और 2013 में शुरू

सारणी 13.8 : भारत: चुनिंदा स्वास्थ्य सूचक

किए गए एनयूएचएम (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन) को शामिल किया गया है। एनयूएचएम के अंतर्गत 50000 से अधिक आबादी वाले सभी शहरों/नगरों में स्लम में रहनेवाले और हाशिये पर चले गए अन्य समूहों को शामिल किया गया क्योंकि 50,000 से कम आबादी वाले नगरों को पहले ही एनआरएचएम में शामिल किया जा चुका है। वर्ष 2005 में एनआरएचएम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्थापित की गई स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर अवसंरचना, औषधियों और उपकरणों तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली सेवा में सुधार हुआ है। (सारणी 13.9) 2013-14 के दौरान एनआरएचएम के अंतर्गत कुल योजनागत परिणाम 18775.35 करोड़ रु. था।

प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (आरसीएच): दो आरसीएच कार्यक्रमों अर्थात् जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) का उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकों मातृक मृत्यु दर (एमएमआर), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), और कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में आमूल बदलाव लाना है। प्रसव सुविधा सेवाओं हेतु बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 158 जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में 100 बिस्तर वाले मातृ और बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग स्थापित करने की पहल की गई है। प्रत्येक गर्भवती महिला को समय से प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसव उपरांत देखभाल तथा बच्चों के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माता एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली (एमसीटीएच) शुरू की गई है। 2013-14 के दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पंजीकरण क्रमशः 2.08 करोड़ और 1.67 करोड़ पर पहुंच गया है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुशल जन्म परिचारिका द्वारा कराए गए संस्थागत प्रसव के मामलों की संख्या 2005-06 के 7.38 लाख से बढ़ कर 2012-13 में 1.06 करोड़ से भी अधिक हो गई है। 2013-14 (सितंबर 2013 तक) के दौरान संस्थागत प्रसव की संख्या 80.94 लाख थी। जेएसएसके के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं निःशुल्क प्रसव जिसमें आपरेशन द्वारा प्रसव शामिल है, मुफ्त औषधि, नैदानिकी, रक्त एवं आहार, घर से संस्था तक (जिनमें संदर्भ जांच हेतु आना जाना भी शामिल है) मुफ्त आने-जाने की सुविधा प्राप्त करने की पात्र हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना/पीएमएसएसवाई: पीएमएसएसवाई के अंतर्गत पहले चरण में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में छह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्थाएं कार्य करने लगी हैं। इनमें से प्रत्येक संस्था में छात्रों के दो बैच जिनमें कुल छात्र 210 हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले चरण में 13 मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने के अतिरिक्त दूसरे चरण में 6 और तीसरे चरण में 39 मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने की योजना है।

आयुष: भारतीय चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सुपुर्दगी व्यवस्था में आयुष पद्धति को शामिल करके/मिलाकर भी विकसित और संवर्धित किया जा रहा है जिसके लिए 2013-14 में 1069 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। किंतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि आयुष द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और उसकी मांग के बीच काफी अंतर है। केवल 4.7 प्रतिशत रोगी ही सरकारी अस्पतालों/औषधालयों से औषधियां प्राप्त कर पाते हैं तथा शेष 95.3 प्रतिशत लोग निजी तथा अन्य स्रोतों का प्रयोग करते हैं।

मानव संसाधन, तृतीय स्वास्थ्य सेवा का अवसंरचना विकास/उन्नयन: सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने हेतु, नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए भूमि आवश्यकता मानदंड और अवसंरचना आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है। चिकित्सकों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए, जिला अस्पतालों के साथ संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है जिससे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16,000 नए एमबीबीएस सीट उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे

सारणी 13.9 : स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचनां सुविधाएं

क्र. सं.	सुविधाएं	संख्या
1.	एसीसी/पीएचसी/सीएचसी (2012)*	177248
2.	सरकारी अस्पताल (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, पीएचसी सहित) **	35416
3.	आयुष अस्पताल और औषधालय (01.04.12 की स्थिति के अनुसार)**	27586
4.	नरिंग कर्मचारी (01.01.12 के अनुसार)**	2124667
5.	चिकित्सक (आधुनिक प्रणाली) (2012)**	883812

स्रोत: *आरएचएस रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन ईडिया 2012 और **नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2012।

टिप्पणी : एससी का अर्थ उपकेन्द्र; पीएचसी का अर्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; सीएचसी का अर्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र; आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी से है।

मेडिकल कॉलेजों में प्री एवं पैरा क्लिनिकल विभागों में संकाय सदस्यों की कमी को पूरा करने के लिए 20 राज्यों के 72 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लगभग 4000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट सृजित करने के लिए 15 अक्टूबर 2013 की स्थिति के अनुसार 686.02 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम

13.24 महिलाओं एवं बच्चों की संख्या देश की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत है जो अनेक आर्थिक और सामाजिक पैरामीटरों के संदर्भ में अति संवेदनशील तथा पिछड़े हुए हैं। अतः देश की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के लिए निर्णयन की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी प्रदान करते हुए सकारात्मक कार्य के साथ एक केंद्रित योजना बनाने की आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार करते हुए इस वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए वर्ष 2005 में जेंडर बजटिंग को अपनाया गया। जेंडर बजट का हिस्सा 2005-06 में 2.79 प्रतिशत से बढ़ाकर 2013-14 में सकल बजटीय सहायता का 5.83 प्रतिशत (97,133.70 करोड़ रु.) कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही अनेक स्कीमों में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के किए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 7076 परियोजनाओं के सचित अनुमोदन और मांग पर 20,000 आंगनवाड़ियों सहित 14 लाख एडब्ल्यूसी के साथ इस स्कीम का अब सार्वभौमिकरण हो गया है। ये वर्तमान में 1026 लाख लाभान्वितों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

महिलाओं की वृहत्तर भागीदारी का आशय केवल जेंडर बजटिंग में उनकी बड़ी हिस्सेदारी नहीं है बल्कि निर्णयन की प्रक्रिया में भी उनकी बड़ी भागीदारी है।

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए नीतियां: सभी बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हों, इसके लिए बच्चों हेतु एक नई राष्ट्रीय नीति एनपीसी-2013अपनाई गई है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना जाता है जिसके सम्यक विकास और संरक्षण के लिए एक दीर्घावधिक, टिकाऊ, बहुक्षेत्रीय, समेकित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों से निपटने के लिए बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोस्को) अधिनियम, 2012 नामक एक विशेष अधिनियम 14 नवम्बर, 2012 को लागू किया गया। 09 दिसंबर 2013 को अधिनियमित महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक लगाने के लिए दांडिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में व्यापक संशोधन किए गए जिससे संबंधित उपबंधों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। भारत में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य और कानूनी स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए 24 मई 2013 को महिलाओं की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई। समिति से अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण तथा विकास कार्यक्रम

13.25 समाज के सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर समूहों तथा हाशिए पर स्थित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण और शैक्षिक उत्थान से अधिक तीव्र और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। 2013-14 के दौरान सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण हेतु 5084.56 करोड़ रुपए की राशि जारी

की गई है। विभिन्न कमज़ोर वर्गों के लिए लक्षित कुछ स्कीमों का नीचे उल्लेख किया गया है:

अनुसूचित जातियाँ (एससी)

- **अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी)** के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए): इस उप-योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जातियों के लोगों का स्व-रोजगार या कौशल विकास और उत्थान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2013-14 के दौरान अनुमानतः 6.08 लाख लाभ भोगियों के लिए राज्यों को 790.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के नागरिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कानून लागू किए गए हैं। अनुसूचित जातियों की सहायता के लिए 2013-14 के दौरान 3990.14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- **छात्रवृत्ति संबंधी स्कीमें:** अनुसूचित जनजातियों के कक्षा IX और X में पढ़ रहे छात्रों के लिए 2012 से पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम प्रारंभ की गई है ताकि स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आऊट), विशेषकर प्राथमिक से माध्यमिक चरण में जाते समय, की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। लगभग 19.10 लाख लाभान्वितों को छात्रवृत्ति देने के लिए 2013-14 के दौरान राज्यों को 547.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उत्तर-मैट्रिक स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के 52.78 लाख लाभान्वितों के लिए, 2013-14 के दौरान राज्यों को 2153 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- **अन्य स्कीमें:-** अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए कुछ अन्य स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम के तहत एम.फिल और पी.एच.डी. कोर्स करने वाले एससी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति स्कीम के तहत उन छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएचडी/पोस्ट-डॉक्टोरल पाठ्यक्रम कर रहे हैं, तथा उच्च श्रेणी की शिक्षा के तहत जो छात्र आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे अधिसूचित प्रमुख संस्थानों में प्रवेश लेते हैं उन्हें पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

13.26 अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए अनेक नीतियाँ और कार्यक्रम तथा कानून बनाए गए हैं। योजना आयोग (2009-10) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 47.4 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 30.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके कल्याण हेतु चलाई जा रहीं प्रमुख स्कीमों का वर्णन नीचे किया गया है:

- **जनजातीय उपयोजना तथा विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम:** जनजातीय उपयोजना अनुसूचित जनजातियों और आम लोगों के बीच विकास संबंधी अंतर को कम करके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। 2013-14 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए 3879 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) जारी किए गए हैं। । दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् (i) राज्यों को आय सृजन स्कीमों, प्रासंगिक अवसरंचना सृजन, समुदाय आधारित क्रियाकलापों तथा वन ग्रामों के विकास के लिए उनकी जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की अनुपूर्ति के लिए अनुदान, और (ii) जनजातीय क्षेत्रों में विकास और प्रशासन के उन्नयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के लिए राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सहायता के बड़े भाग का व्यय हुआ। दूसरी श्रेणी के अनुदान का प्रयोग सुदूर क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों में एकलव्य मॉडल

अधिक तीव्र और अधिक समावेशी विकास सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर समूहों के शैक्षणिक उत्थान सहित उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी निर्भर करता है।

आवासीय स्कूलों को स्थापित करने पर भी किया गया। 2013-14 में इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत संशोधित आवंटन 2147.14 करोड़ रुपए था जो राज्यों को जारी कर दिया गया है।

- **आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम:** एसटी के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए, आय-सृजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए रियायती ब्याज-दरों पर ऋण और माइक्रो-क्रेडिट के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। 2013-14 के दौरान निगम ने अनुसूचित जनजातियों के लोगों में विभिन्न आय-सृजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए 141.35 करोड़ रुपए प्रदान किए। बाजार विकास संबंधी कार्य भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य शृंखला विकास के माध्यम से लघु बनोपजों के विपणन के लिए एक तंत्र के रूप में 2013-14 में एक नई स्कीम जारी की गई जिसके लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 112.49 करोड़ रुपए जारी किए गए।
- **शैक्षिक विकास कार्यक्रम:** सरकार द्वारा निरंतर सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों में शिक्षा का निम्न स्तर एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जुलाई 2012 में शुरू की गई पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता तथा उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम के तहत अभिज्ञात संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष 625 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्व-मैट्रिक स्कीम और उत्तर-मैट्रिक स्कीम के अंतर्गत 2013-14 में क्रमशः 219.43 करोड़ रु. और 748.45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय

13.27 अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनागत परिव्यय को वर्ष 2012-13 के 3135 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 3511 करोड़ रुपए कर दिया गया। अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व-मैट्रिक, उत्तर-मैट्रिक और प्रतिभा-सह-साधन आधारित तीन छात्रवृत्ति स्कीमों को व्यापक रूप में चलाया गया जिनके लिए वर्ष 2013-14 में कुल 1770 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम विशेषकर शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता, गृह-निर्माण और पेयजल के क्षेत्र में “विकास में कमी” को पूरा करने के लिए 196 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विशेष क्षेत्र विकास पहल शुरू किए गए हैं जिनके लिए 2013-14 के दौरान 1466.98 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थायी निधि 2005-06 के 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर मार्च 2014 तक 910 करोड़ रुपए कर दी गई है तथा इसके क्रियाकलापों में विस्तार के लिए इस निधि में 2014-15 के दौरान 113 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी।

13.28 अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों और निःशक्त लोगों के लाभार्थ भी विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

संभावनाएं एवं चुनौतियां

13.29 प्रयोग में लाए जाने के लिए मौजूद बृहत मानव आबादी लाभ को ध्यान में रखते हुए भारत का मानव विकास संबंधी दृष्टिकोण सकारात्मक हो सकता है। इस अद्वितीय अवसर का लाभ तभी उठाया जा सकता है यदि हमारी युवा आबादी शिक्षित,

स्वस्थ और पर्याप्त रूप में कुशल हो किन्तु ऐसा भारत के मानव विकास आंकड़ों से प्रदर्शित नहीं होता है। हालांकि 2000-12 में इन सूचकों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई किन्तु अधिकांश एचडीआई (मानक विकास सूचकांक) सूचकों जैसे कि जन्म के समय आयु संभाविता, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय के संबंध में भारत का निष्पादन वैश्विक औसत से कम बना हुआ है। इन सूचकों में वृद्धि के न होने को देखते हुए भारत अपने एचडीआई रैंक में पिछड़ गया है।

13.30 इस मानव आबादी लाभ की स्थिति अर्थात् युवा आबादी की क्षमता का उपयोग करना भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है विशेषकर क्योंकि यह एक समयबद्ध लाभ है। पहले ही कुछ राज्यों में औसत आयु जैसे कि केरल (33), गोवा (32.3), तमिलनाडु, (31.3), हिमाचल प्रदेश (30.4), आन्ध्र प्रदेश (29.3), पंजाब (29.3) और पश्चिम बंगाल (29.1) में आबादी 2020 की औसत आयु को पार कर चुकी है। अतः उच्च प्रत्याशा रखने वाले युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्याप्त कौशल और सुरक्षा से लैस करने के लिए समय से काम करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास, और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में निवेश के रूप में व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

13.31 सभी को रोजगार तथा उच्चकोटि का जीवन स्तर उपलब्ध कराना अन्य चुनौती है। हालांकि उच्च विकास दर धीरे-धीरे सभी व्यक्तियों तक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगी, किन्तु विकास गुणवत्ता पूर्ण हो यह समान रूप से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अवसंरचना सुविधाओं तथा रोजगार उत्पन्न करने वाले पर्यटन क्षेत्र के विकास पर दिया जा रहा बल सही दिशा में उठाया जा रहा कदम है। लक्षित तथा फिर से तैयार किए गए रोजगार एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ इसका इच्छित प्रभाव पड़ सकता है।

13.32 अनेक और कभी-कभी परस्पर व्यापी कार्यक्रमों से निपटना अन्य चुनौती है। हालांकि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सामाजिक व्यय में वृद्धि में प्रदर्शित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कल्याण क्रियाकलापों पर व्यय के संबंध में समझौता नहीं किया गया है किन्तु परिव्यय से परिणाम पूर्णतः प्राप्त नहीं हुए हैं। मौजूदा कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रति वर्ष केवल राशि निर्धारित कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों के लिए निर्धारित न्यूनतम आकार के साथ एक संपृष्ठ, पुनर्संगठित और समाभिरूपित “शून्य बजटिंग”, दृष्टिकोण अपनाया जाए (बॉक्स 13.4)

13.33 सुपुर्दगी तंत्र अंतिम चुनौती है। निम्न सुपुर्दगी तंत्र के कारण विभिन्न स्कीमों हेतु परिव्यय को प्रायः परिणामों में पूरी तरह से अंतरित नहीं किया जा सका है। कार्यक्रमों को दक्षतापूर्वक लागू करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शासन में बहुल स्तरीय व्यवस्था को समाप्त करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा लाभार्थियों द्वारा अधिक प्रतिभागितापूर्ण भूमिका निभाने से एक बेहतर सुपुर्दगी तंत्र सृजित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है। बड़े निजी क्षेत्र की भागीदारी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की सुपुर्दगी में उपयोगी हो सकती है। जबकि यह लाभभोगियों के लिए शीघ्र सुपुर्दगी में सहायता कर सकता है वहीं यह दूसरे के नाम पर लाभ प्राप्त करने वाले की पहचान करने में भी सहायक सिद्ध होगा। बैंक खाते में सीधा लाभ अंतरण ऐसा ही एक उदाहरण है। महात्मागांधी नरेंगा के अंतर्गत ई-हाजिरी के माध्यम से भुगतान एक अन्य उदाहरण है। किन्तु निजी क्षेत्र जो भुगतान और प्रक्रिया में होने वाले विलंब के कारण सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक-क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने में कुछ अनिच्छा दर्शाते हैं, की सहायता से इस क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है। ऐसे विलंब से बचने के लिए प्रशासन के अनेक स्तरों को कम किए जाने तथा मध्यस्थों से बचने की आवश्यकता है। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की सफलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संस्थागत

समयबद्ध जनांकीय लाभ की स्थिति अर्थात् युवा आबादी की क्षमता को उपयोग में लाने के लिए सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है।

मौजूदा कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रतिवर्ष केवल राशि निर्धारित कर देना या किसी नई परियोजना की घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि स्कीमों के लिए एक संपुष्ट, पुनर्संगठित और समाभिरूपित शून्य बजटिंग दृष्टिकोण अपनाया जाए।

बॉक्स 13.4 : सामाजिक क्षेत्र की कुछ स्कीमों को संपुष्ट/पुनर्संगठित करने की आवश्यकता

सरकार सामाजिक क्षेत्र के अनेक कार्यक्रमों को चला रही है। विभिन्न स्कीमों का कार्य-निष्पादन भिन्न-भिन्न है। इनमें से अनेक स्कीमों को बड़े पैमाने पर संपुष्ट/पुनर्संगठित करने और कुछ को एक साथ जोड़ने तथा साथ ही शून्य बजटिंग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके। महात्मा गांधी नरेगा

- हालांकि यह अधिनियम पंचायत केंद्रित और मांग आधारित है, किन्तु जमीनी स्तर पर इसमें पंचायती राज संस्थाओं में जागरूकता स्तर काफी कम है तथा इनमें स्वामित्व की कमी, गलत ढंग से तय की गई योजनाएं, अनेक परियोजनाओं को एक साथ चलाने तथा कमज़ोर या यहां तक कि किसी भी सामाजिक परख का अभाव है।
- ग्राम सभा/पंचायती राज संस्थाओं में जागरूकता स्तर काफी कम है तथा इनमें स्वामित्व की कमी, गलत ढंग से तय की गई योजनाएं, अनेक परियोजनाओं को एक साथ चलाने तथा कमज़ोर या यहां तक कि किसी भी सामाजिक परख का अभाव है।
- सामुदायिक परियोजनाओं की आवश्यकता कम महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि ऐसे कार्य संबंधित: पहले ही पूरे किए जा चुके हैं या संतृप्त होने की कगार पर हैं या सरकारी कार्यों में आम जनता की स्थिति नहीं रही है। फार्मों में अलग-अलग क्रियाकलाप लाभार्थियों द्वारा तय किए जाते हैं।
- काम को विलंब से निर्धारित किए जाने के कारण मजदूरी का भुगतान विलंब से किया जाता है। ऐसा तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने के कारण भी होता है।
- कुछ स्थानों पर काम करने में केवल महिला मजदूर ही सचित रखती हैं क्योंकि उन कामों में मुख्य मजदूरों की मजदूरी की बाजार दर अधिक होती है जिससे महिला मजदूरों को काम पर लगाकर बड़े और व्यापक प्रकार की परियोजनाओं के बजाय कम उपयोगी छोटे-छोटे कार्य ही पूरे हो पाते हैं।
- एकल या कम संख्या में लाभभोगियों वाली परियोजनाओं को हाथ में लेने से बचने तथा महात्मा गांधी नरेगा कोष को आपूर्ति प्रेरित रूप में प्रयोग में लाने की आवश्यकता है।

अतः महात्मा गांधी नरेगा के दुरुपयोग को रोकने और इसे पर्यटन संबंधी अवसरंचना या कुछ बड़े कृषि संबंधित क्रियाकलापों को शामिल करके मूर्त तथा सार्थक परिसंपत्ति और अवसरंचना सृजित करने के लिए चलाई जाने वाली एक विकासोन्मुख कार्यक्रम बनाने के लिए संपुष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है।

एनआरएलएम

- एसजीएसवाय/एनआरएलएम कपड़ों की सिलाई, अगरबत्ती बनाने, स्थानीय तौर पर खपत होने वाली बस्तुओं और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे घर में किए जाने वाले क्रियाकलापों और निर्मित उत्पादों तथा अतिथ्य सत्कार सेवाओं जैसे क्रियाकलापों में संतोषजनक रूप में कार्य करता रहा है। तथापि, बुद्धिमत्तापूर्ण आयोजना तथा पूर्व एवं पश्च संबंधों को सही रूप में संयोजित करके अतिम उत्पाद की मांग और आपूर्ति का सावधानी पूर्वक आकलन करना आवश्यक है। इसके लिए, खंड स्तर पर विकास केन्द्रों की उचित और समयबद्ध पहचान करने तथा उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है।
- भवन और उपस्कर जैसी अवसरंचना में क्रियाकलापों के स्कोप तथा बड़े पैमाने पर निवेश के बीच अंतराल पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

एनआरएचएम

- हालांकि एनआरएचएम ग्रामीण आबादी को वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा है किन्तु या तो सुविधा केन्द्र को सही स्थान पर स्थापित नहीं किए जाने के कारण या फिर चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के लिए परिवहन/आवासीय सुविधाओं की कमी, महिलाओं की सुरक्षा तथा योग्य चिकित्सकों और नर्सों की कमी के कारण सुनिर्मित अवसरंचनाओं का उपयोग कम हो रहा है।
- इस क्षेत्र में सावधानीपूर्वक नियामक उपाय करके सरकारी-निजी भागीदारी पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

एसएसए

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गांव में 1 कि.मी. की दूरी के भीतर एक स्कूल का होना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को अपने निकटतम स्थान पर स्कूल की सुविधा मिल सके। तथापि, इस प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि कुछ स्थानों पर छात्रों की संख्या को देखते हुए उनके लिए अलग से क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है और इसके कारण बहुत से स्कूल खुल रहे हैं और टूटे-फूटे भवनों के रूप में अवसरंचनाएं प्राप्त हुई हैं। निकटम स्थानों पर छोटे एकल या बड़े स्कूल को स्थापित करने से संसाधनों के इष्टतमीकरण द्वारा उद्देश्य को बहरत रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
- अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने तथा शिक्षकों का परिणाम आधारित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
- स्कूलों में शौचालय सुविधाओं, सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, सफाई कर्मचारी सहित सभी स्तरों पर कर्मचारी की कमी जैसी समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है।

एमडीएम

- इस स्कीम में आमूल सुधार की आवश्यकता है क्योंकि निम्न कोटि के खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के कारण बच्चों की सुरक्षा संबंधी जोखिम में वृद्धि हुई है। कुछ सुझावों में प्रत्येक स्कूल में पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है क्योंकि वर्षा की स्थिति में या अन्य किसी भी स्थिति में उन्हें ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बच्चों को गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- इस क्रियाकलाप में शिक्षकों को सीधे शामिल करने के बजाय उन्हें केवल देख-रेख में ही लगाया जाए क्योंकि इससे शिक्षकों का प्रमुख कार्य अर्थात् बच्चों को पढ़ाने का कार्य बाधित होता है।

एनबीए:

यह स्कीम शुरुआत से ही काफी प्रगति पर है हालांकि इस दिशा में अभी भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में जिन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है, वे निम्नलिखित हैं:-

- चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता राज्य का विषय है, अतः इस कार्यक्रम पर पर राज्य सरकारों द्वारा उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अधिकांश राज्यों ने अपने कार्यक्रमों में टीएसी को शामिल किया है, किन्तु स्वच्छता हेतु वित्तीय आवंटन प्रायः पर्याप्त नहीं होता जिसका कारण है कि इस कार्यक्रम का प्राथमिकता नहीं दी जाती जिसका प्रायः जल के बाद दूसरा स्थान है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण समस्या है।
- क्षमता सूजन और आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) क्रियाकलापों पर कम बल दिया जाता रहा है जिसकी किसी भी मांग प्रेरित परियोजना को लागू करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन मरीनरी को, जो आपूर्ति-प्रेरित लक्ष्य-उन्मुख स्कीमों के कामकाज से पूरी तरह परिचित होती है, इस मांग-प्रेरित दृष्टिकोण की चुनौतियों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है।
- कुछ अन्य चुनौतियों में निम्न लागत और क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकल्प का प्रावधान, निर्माण की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय, राज्य, जिला और आधार स्तरों पर विभिन्न अन्य विभागों के साथ तालिमेल की समस्याएं शामिल हैं।

स्रोत: डॉ. एच.एसी.प्रसाद, डॉ. एनके सिन्धा और रियाज ए. खान वर्किंग पेपर नंबर 3/2013 आर्थिक कार्य विभाग (नवंबर 2013) आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार और विभिन्न अन्य अध्ययनाएं

व्यवस्था और प्रवृत्ति जन्य सोच पर निर्भर है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को सूचनाओं और विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, अधिकारों और हकदारियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध हो। आम जनता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जवाबदेही की मांग करने से भी प्राधिकरणों को अधिक अनुक्रियाशील बनाया जा सकेगा। ग्राम सभा के स्तर पर अधिक जागरूकता तथा क्षमता निर्माण क्रियाकलाप तथा अधिकारों अर्थात् निधि, कार्य और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को वास्तविक अर्थों में शक्तियों का अंतरण जो संविधान के 73वें संशोधन के बाद से अभी भी पूरा नहीं हुआ है, को किए जाने से भी सहायता प्राप्त होगी।

पंचायती राज संस्थाओं और विशेषकर ग्राम सभाओं के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान देने से पंचायत केंद्रित कार्यक्रमों की बेहतर और अधिक प्रभावी आयोजना, निष्पादन, निगरानी और सामाजिक परख को बढ़ावा मिलेगा।
